

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

वन मित्र कॉल सेंटर- 920 800 8000

5 पंचशील पार्क, चकराता रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135-2761077 ई-मेल: ceoukcampa@gmail.com, ceocampa-forest-uk@nic.in
www.wwww.ukcampa.org.in

पत्रांक- 304/3-2/16-17

दिनांक, 17 अगस्त, 2016

सेवा में,

समस्त संबंधित प्रमागीय वनाधिकारी/क्रियान्वयन अभिकरण
उत्तराखण्ड कैम्पा

विषय :- धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2016-17 के सापेक्ष कार्य की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को नई बैंकिंग प्रणाली के तहत निम्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत गतिविधियों का मदवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण निम्नानुसार है:-

SL NO.	Name of Implementing Agencies	Compensatory Afforestation (Plantation Head)			CAT PMU and Others		Total Release
		Physical Target (ha)	Target Financial	Current Release	Fin.	Remark	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF GARHWAL				1.25	CAT PMU	1.25
	BHAGIRATHI CIRCLE						
2*	NARENDRA NAGAR	120	32.92	32.92	6.69	S.H.E.P. CAT PMU	39.61
3	TEHRI	106	29.08	29.08			29.08
4	UTTARKASHI F.D	104	28.53	28.53			28.53
	Total Bhagirathi Circle	330	90.53	90.53	7.94	0	98.47
	GARHWAL CIRCLE						
5*	ALAKNANDA SOIL				6	For Tapovan Vishnugad CAT PMU	6
6	BADRINATH F.D	90.68	27.11	27.11	2.64	For Tapovan Vishnugad CAT PMU	29.75
7*	GARHWAL F.D	30	8.97	8.97	1.99	For S.H.E.P. CAT PMU	10.96
8	RUDRAPRAYAG F.D	86.6	25.7	25.7	8.58	For CAT PMU under S.H.E.P. (2.17), Singoli-Bhatwari (4.66), Phata-Byung (1.74)	34.28
9*	PAURI (CIVIL SOYAM)				2.37	S.H.E.P. CAT PMU	2.37
10	CF GARHWAL				3.5	CAT PMU	3.5
	Total Garhwal Circle	207.28	61.78	61.78	25.08	0	86.86
1	2	6	7	8	9	10	11
	SHIVALIK CIRCLE						
11	DEHRADUN F.D	150	40.5	40.5			40.5
12	HARIDWAR F.D	250	67.5	67.5	3	Chiriyapur Rescue Center (Food for Tiger)	70.5
13	LANSDOWNE F.D	150	35.74	35.74			35.74
14	LANSDOWNE S.C	65.7	30.18	30.18			30.18
	Total Shivalik Circle	615.7	173.92	173.92	3	0	176.92
	YAMUNA CIRCLE						
15	CHAKRATA F.D	100	26.48	26.48			26.48
16*	MUSSOORIE F.D	37	7.4	7.4			7.4
17	TONS F.D	23.5	6.71	6.71			6.71
	Total Yamuna Circle	160.5	40.59	40.59	0	0	40.59
	Total Garhwal Zone	1313.48	366.82	366.82	36.02	0	402.84
1	2	3	4	5	6	7	8

NORTH KUMAON CIRCLE							
18*	ALMORA F.D	200	38.6	38.6	20	Soni (Eco-tourism)	58.6
19*	ALMORA CIVIL SOYAM	134	25.86	25.86			25.86
20	BAGESHWAR F.D	120	23.16	23.16			23.16
21*	CHAMPAWAT F.D	100	19.3	19.3			19.3
22*	PITHORAGARH F.D	250	48.25	48.25			48.25
	Total North Kumaon Circle	804	155.17	155.17	20	0	175.17
SOUTH KUMAON CIRCLE							
23*	NAINITAL F.D	111.31	27.16	27.16			27.16
	Total South Kumaon Circle	111.31	27.16	27.16	0	0	27.16
WESTERN CIRCLE							
24*	HALDWANI F.D	123	19.68	19.68			19.68
25*	RAMNAGAR F.D	79	12.98	12.98			12.98
26	TARAI EAST	300	65.17	65.17			65.17
27*	TARAI WEST	57.5	20.7	20.7			20.7
	Total Western Circle	559.5	118.53	118.53	0	0	118.53
	Total Kumaon Zone	1474.81	300.86	300.86	20	0	320.86
28	DIR NANDA DEVI				1.83	CAT PMU	1.83
29*	KEDARNATH WILDLIFE DIV.				4.11	Tapovan-Vishnugad (1.64), Phata Byung (2.47) for CAT PMUs	4.11
30	NANDA DEVI	117.5	38.31	38.31	6.42	Lata-Tapovan CAT PMU	44.73
	Total Wildlife Zone	117.5	38.31	38.31	12.36	0	50.67
Other Admin units							
31	CCF FTA				11.5	Trainings	11.5
	TOTAL (ADMIN UNITS):	0	0	0	11.5	0	11.5
	TOTAL	2905.79	705.99	705.99	79.88	0	785.87

* उपरोक्त तालिका में तारांकित प्रभागों से अभिप्राय उन प्रभागों से है जिनके द्वारा अभी तक अपने प्रभाग से संबंधित जुलाई 2016 तक का लेखा उत्तराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन प्रभागों को धनराशि की आहरण सीमा माह जुलाई 2016 तक का लेखा प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्गत की जाएगी।

तरांकित प्रभागों के अतिरिक्त शेष वन प्रभागों/कियान्वयन अभिकरणों को धनराशि की आहरण सीमा निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जा रही है:-

1. अवमुक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार उपरोक्त स्वीकृत कैम्पा मदों में ही किया जाय। स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में धनराशि का व्यय न की जाय।
2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाए।
3. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
4. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
5. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए।
6. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
7. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।



9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
11. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
12. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
13. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
14. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
15. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
16. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
17. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
18. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

भवदीय

(समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- ~~304~~ / 3-2/2016-17 दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, शिवालिक एवं कुमाऊँ जोन।
6. समस्त संबंधित वन संरक्षक उत्तराखण्ड।

(समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा